

प्रेस नोट दिनांक 02.10.2020

1. दिनांक 01.10.20 को वादी उ0नि0 श्री सुनील कुमार यादव थाना को0नगर अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि जयसिंह यादव नि0 पिरखौली थाना रौनाही अयोध्या आदि 13 नफर अभि0गण द्वारा धारा 144 का उल्लंघन करते हुए कैण्डल मार्च निकालना जिससे महामारी फैलने की सम्भावना होना। जिसके संबंध में थाना को0नगर में मु0अ0सं0 654/20 धारा 188 भादवि व 3 महामारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।
2. दिनांक 01.10.20 को वादी उ0नि0 श्री सुनील कुमार यादव थाना को0नगर अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि अखिलेश यादव पुत्र त्रिवेणी प्रसाद नि0 नौवा कुआ थाना पूराकलन्दर अयोध्या जिलाध्यक्ष कांग्रेस पार्टी अयोध्या आदि 13 नफर व 20-25 अज्ञात व्यक्ति हाथरस में हुई घटना को लेकर अभि0गण द्वारा अपने हाथों में पोस्टर व बैनर लेकर नारेबाजे करते हुए धारा 144 द0प्र0सं0 का उल्लंघन करते हुए जुलूस निकालना जिससे महामारी फैलने की सम्भावना होना। जिसके संबंध में थाना को0नगर में मु0अ0सं0 657/20 धारा 188 भादवि व 3 महामारी अधि0 व 51 आपदा प्रबंधन अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।
3. दिनांक 01.10.20 को वादी उ0नि0 श्री शिवानन्द यादव थाना रौनाही अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि अनिल कुमार पुत्र मिठाई लाल नि0 गुलजार का पुरवा मजरे साल्हीपुर निमैचा थाना रौनाही अयोध्या गिर0 अभियुक्त के कब्जे से 540 ग्राम गांजा नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना रौनाही में मु0अ0सं0 442/20 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।
4. दिनांक 01.10.20 को वादी श्री लल्लन प्रसाद विश्वकर्मा पुत्र कृष्ण प्रसाद नि0 सराय नामू थाना इनायतनगर अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि राम तीरथ पुत्र खुशियाल नि0 सरायनामू थाना इनायतनगर अयोध्या आदि 02 नफर कूड़ा फेकने की बात को लेकर अभि0गण द्वारा गाली देते हुए मारना पीटना तथा जान माल की धमकी देना। जिसके संबंध में थाना इनायतनगर में मु0अ0सं0 609/20 धारा 323, 504, 506 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
5. दिनांक 01.10.20 को वादी श्री राम संजीवन कौशल पुत्र राम गोपाल नि0 डूडी अमानीगंज बाजार थाना खण्डासा अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि गुलाब चन्द्र कौशल पुत्र झब्बर नि0 अमानीगंज बाजार थाना खण्डासा अयोध्या आदि 04 नफर अभि0गण द्वारा वादी को गाली व जान माल की धमकी देना। जिसके संबंध में थाना खण्डासा में मु0अ0सं0 420/20 धारा 504, 506 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
6. दिनांक 01.10.20 को वादी उ0नि0 श्री राजेश कुमार सिंह थाना मवई अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि सोनू गुप्ता पुत्र काशीराम गुप्ता नि0 रसूलपुर नेवादा थाना मवई अयोध्या गिर0 अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद चाकू नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना मवई में मु0अ0सं0 428/20 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।
7. दिनांक 01.10.20 को वादी उ0नि0 श्री शैलेश त्रिवेदी थाना मवई अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि जगराम पुत्र राम नरेश नि0 मल्लाहन का पुरवा मजरे द्वारिकापुर थाना मवई अयोध्या गिर0 अभियुक्त के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना मवई में मु0अ0सं0 429/20 धारा 60 आबकारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।